HAMIRPUR POLICE

थाना चिकासी **दिनांक 22.09.2022**

हत्या की घटना का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2022 को वादी श्रीराम पुत्र जीवनलाल निवासी ग्राम बरौली खरका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर के द्वारा थाना चिकासी पर लिखित तहरीर दी गई कि 1)चन्द्रभान पुत्र गयाप्रसाद लोधी व 2)सचिन पुत्र चन्द्रभान 3)रिंकू पुत्र चन्द्रभान के द्वारा उसके बाबा गयाप्रसाद लोधी पुत्र नरायणदास को ग्राम बरौली खरका से अपहरण करके उनकी हत्या कर करगवां नहर के पास सड़क पर फेंक दिये है इस सूचना पर थाना चिकासी पर मु0अ0सं0-163/22, धारा-364/302/506/34 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 22.09.2022 को थाना चिकासी पुलिस टीम द्वारा रहंक बम्बी पुलिया के पास से घटना से संबन्धित 02 अभियुक्तों 1)चन्द्रपाल पुत्र गयाप्रसाद 2)सचिन पुत्र चन्द्रभान को हत्या मे प्रयुक्त वेगनार कार व एक तमंचा/कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया साथ ही अभियुक्त रिंकू पुत्र चन्द्रभान की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

थाना चिकासी पुलिस द्वारा अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि उनके पिता मृतक गयाप्रसाद लोधी के नाम 35 बीघा जमीन थी जिसमे उनको 10 बीघा जमीन ही दी गई थी, आरोपियों द्वारा उनसे आधा जमीन देने के लिये कई बार कहा तो वह नहीं दिये और धमकी दिये कि वह अपनी पूरी 35 बीघा जमीन छोटे भाई की पत्नी व पुत्र को रजिस्ट्री कर देंगे, इसी कारण तीनो आरोपियों ने योजना बनाकर अपनी वेगनार गाड़ी मे बाहर सोते समय गयाप्रसाद लोधी को खींच ले गये तथा करगवां के पास ले जाकर सड़क पर सुनसान जगह देखकर अपनी गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. चन्द्रभान पुत्र गयाप्रसाद लोधी नि0 ग्राम बरौली खरका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर
2. सचिन पुत्र चन्द्रभान नि0 ग्राम बरौली खरका थाना चिकासी जनपद हमीरपुर

बरामदगी

1)हत्या में प्रयुक्त वेगनार कार नं-UP91 S6479

2)एक तमंचा/01 कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.SHO हेमन्त कुमार मिश्र	5.का0 हरदीप सिंह
2.उ0नि0 जगतरानायण	6. का0 अंकित साहू
3.उ0नि0 रणजीत बहादुर	7.का0 मनोज कुमार
4.उ0नि0 तौफीक अहमद	8.का0 अभिषेक द्विवेदी